भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *43

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र

***43**. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कार्यशील क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों (आरडीटीसी) की प्रगति / उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आरडीटीसी की स्थापना और संचालन की देखरेख के लिए कोई समिति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आरडीटीसी की स्थापना करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में वर्तमान में जिला-वार कितने आरडीटीसी कार्यशील हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में आरडीटीसी की स्थापना करने के लिए कोई "सैद्धांतिक मंजूरी दी है और यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र" के संबंध में श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *43 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्रों (आरडीटीसी) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत आरडीटीसी की संख्या
1.	छत्तीसगढ	1
2.	मध्य प्रदेश	3
3.	महाराष्ट्र	3
4.	नागालैंड	1
5.	राजस्थान	3

इनमें से महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आरडीटीसी तथा राजस्थान के अजमेर जिले में आरडीटीसी का निर्माण पूरा हो चुका है तथा प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

(ख) आरडीटीसी की स्थापना के लिए योजना दिशा-निर्देशों में प्रत्येक आरडीटीसी के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकार तथा निजी भागीदार के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो आरडीटीसी के निर्माण एवं संचालन की देखरेख करेंगे। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी करने से पहले समिति का गठन सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) तथा (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से आरडीटीसी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए तीन ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, निजी एजेंसियों को निधियों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने तक केंद्र सरकार के नाम पर भूमि को गिरवी रखना आवश्यक है। इसके अलावा, आरडीटीसी के निर्माण एवं संचालन की देखरेख के लिए एक सोसायटी का गठन किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, केन्द्र सरकार भूमि को गिरवी रखना और सोसायटी पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर "सैद्धांतिक" अनुमोदन जारी करती है। अब तक, कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में एक आरडीटीसी की स्थापना का प्रस्ताव "सैद्धांतिक" अनुमोदन चरण में है।

*****